6.	बिहार में चरवाह स्कूल—प्राथमिक अवलोकन (1992-93) नवम्बर, 1992	शिक्षा विभाग
7.	महाराष्ट्र में रोजगार आश्वासन स्कीम—प्राथमिक अवलोकन (1993-94)—1993	श्रम और रोजगार
8.	डांस, ड्रामा और थियेटर ग्रुप को वित्तीय सहायता स्कीम—एक तुरंत अध्ययन (1993-94)—1994	संस्कृति विभाग
9.	पारंपरिक मछुआरों की जीवन दशाओं पर मछली बन्दरगाह परियोजनाओं के प्रभाव पर अध्ययन—1994	कृषि और सहकारिता विभाग
10.	सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) पर मूल्यांकन रिपोर्ट—फरवरी—1995	नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
11.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों को सहायता (एस टी ई पी) पर मूल्यांकन रिपोर्ट—1995	महिला और बाल विकास विभाग
12.	महिला समृद्धि योजना (चालू)	-वही-
13.	प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन (चालू)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

Decrease in GDP

1118. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the GDP has come down marginally during the current financial year as compared to the preceding year; and

(b) if so, the reasons/factors responsible therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Pharmacological and Clinical trials of drugs

1119. SHRI G. SWAMINATHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pharmacological Clinical trials of drugs done henceforth in India in approved/accredited laboratories by Indian drug companies, will get the approval of FDA in US since India has joined WTO; and

(b) if so, the salient features of the scheme and method of availing the advatage?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir, as the WTO TRIPS Agreement contains no such provision.

(b) Does not arise.

भारत और कनाडा के बीच बाल श्रम विवाद

1120. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच बाल श्रमिकों के मामले पर कोई विवाद है,

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है और इससे कौन-कौन से विषय संबंधित है;

(ग) क्या यह सच है कि बाल श्रमिकों के मामले पर कनाडा भारत के विरूद्ध आयात प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए व्यापार संबंधी शर्तें लगाने का विचार रखता है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कनाडा के प्रधान मंत्री ने 13 जनवरी, 1996 को फेडरेशन आॅफ इण्डियन चैम्बर्स आॅफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए बाल श्रम की त्रासदी और बालकों के आर्थिक शोषण का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि कनाडा की सरकार "बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अपने आयात प्रतिबंधों

को कठोर करके नए रास्तों की खोज कर रही है"। द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान, कनाडा के प्रधान मंत्री को भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई।

Quota of Rice to Kerala

1121. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for increase in the quota of the rice to the State of Kerala;

(b) whether it is a fact that the State Government has sent any proposal thereto; and

(c) if so, the decision taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (c) The Central Government makes bulk allocation of rice to all States/UTs including Kerala on a month to month basis, based on the availability of stocks in the Central Pool, inter-se demand, offtake against allocated quantities and seasonal factors. Central Government has not received any proposal from Government of Kerala for increasing the overall monthly quota of rice

कोयला खान दुर्घटनाओं के संबंध में जांच प्रतिवेदन

1122. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1989 से 1995 के बीच कोयला खानों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में जांच कार्य को अब तक पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन दुर्घटनाओं, जिनकी जांच पूरी कर ली गयी है और जिन दुर्घटनाओं की जांच अभी तक पूरी नहीं की गयी है, का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ख) खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ऐसी दुर्घटना जो प्राणघातक होती है, की खान सुरक्षा महानिदेशालय के किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के दल द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। विस्फोटकों अथवा शाफ्ट के मैन वाइन्डिंग आपरेशनों के कारण होने वाली कतिपय गम्भीर दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली गम्भीर शरीर चोट के मामलों की भी खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियम सं॰ 41(8) के अनुसार, संबंधित खान प्रबंधक के लिए सभी घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं की जांच कराना अपेक्षित किया गया है।

दो दुर्घटनाओं, जो क्रमशः 25-1-94, और 26-9-95 को मै॰ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ के न्यू केन्डा कोयला खदान और मै॰ भारतकोकिंग कोल लि॰ को गजलीटांड कोयला खदान में घटी को छोड़कर सभी घातक दुर्घटनाओं की जांच पूरी की जा चुकी है। इन दुर्घटनाओं के लिए, सरकार ने, खान अधिनियम, 1952 की धारा 24(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए दो अलग-अलग जांच न्यायालय गठित किए हैं। जांच न्यायालय की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

Sugar Production

1123. SHRIMATI KAMLA SINHA: DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether sugar production in the country during 1994-95 season exceeded the installed capacity of the sugar industry;

(b) if so, what is the estimated output of sugar in excess of the installed capacity of the sugar industry during the 1994-95 season;

(c) the States which have shown higher production of sugar that the installed capacity;

(d) whether with the increase sugar production Government propose to reduce the import of sugar, if so, by how much; and